तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 26/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा** **1**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

दिनांक : 25.03.2026

सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

अभियुक्त **नर्बदा** को गिरफतारी वारंट की अनुपालना में गिरफतार कर पेश किया गया। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

इस स्तर पर अभियुक्त नर्बदा की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत **धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** प्रस्तुत किया गया। नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई।

बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया गया कि अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सकी, जिस पर न्यायालय द्वारा जमानत जब्त की गई इसलिए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया। उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से दिनांक 19.03.2026 को कोई उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के नियमित उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलके जब्त सरकार किए गए। अभियुक्त द्वारा बरोज तारीख पेशी उनके अनुपस्थित रहने का कारण अभियुक्त का स्वास्थ्य खराब होना बताया गया है, जो कि एक सद्भाविक कारण प्रतीत होता है।

ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त द्वारा 25,000/– रुपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि का एक सुदृढ़ जमानत मुचलका प्रस्तुत कर तस्दीक करा दिया जाता है तो अभियुक्त को प्रकरण में रिहा किया जावें।

तारीख हुक्म	**हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज** **न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नाथद्वारा** प्रकरण संख्या 26/2026 रे0फो0 **राजस्थान राज्य बनाम नर्बदा** **2**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की

अभियुक्त द्वारा न्यायालय आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत किए गए, जो बाद जांच तस्दीक किए गए। अभियुक्त नर्बदा को रिहा किया गया।

पत्रावली पुनः बयान मुलजिम में नियत की जाती है। अभियुक्त के बयान मुलजिम लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त द्वारा प्रकरण में साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना चाहा गया। न्यायहित में अवसर दिया गया।

इस स्तर पर अभियुक्त की ओर से अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000/— रुपये का स्वयं का बंधपत्र एवं इसी राशि का जमानत मुचलका के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जो बाद जांच तस्दीक किए गए।

प्रकरण इस न्यायालय का टारगेट केस होने से अधिवक्ता अभियुक्त को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करें।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिरक्षा दिनांक 07.04.2026 को पेश हो।